

नेशनल लोक अदालत दिनांक : 08/04/2017

आवेदिका आमना एवं अवस्यक आवेदक अनीस द्वारा सहित श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

अनावेदक सराफत सहित श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर आवेदिका आमना पत्नी सराफत, अवस्यक अनीस पुत्र सराफत की ओर से उसकी माँ आमना, निवासी :- समता नगर सूर्या फैक्ट्री के पीछे मालनपुर, ने उसके अधिवक्ता श्री डी.एस.गुर्जर तथा अनावेदक सराफत पुत्र मुनब्बर निवासी :- समता नगर सूर्या फैक्ट्री के पीछे मालनपुर, ने उसके अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला के साथ उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया।

आवेदिका आमना एवं अनावेदक सराफत धारा 125 द.प्र.सं. के प्रकरण में राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार है। अवस्यक आवेदक अनीस की ओर से उसकी माँ आवेदिका आमना उसकी प्राकृतिक संरक्षक होने के कारण प्रकरण में राजीनामा करने के लिए सक्षम पक्षकार है। आवेदिका आमना की पहचान श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता एवं अनावेदक सराफत की पहचान श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता द्वारा की है।

उभय पक्ष को सुना गया। उभय पक्ष द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा करना स्वीकार किया गया है। उभय पक्ष द्वारा उनके राजीनामे में यह लेख किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है, उनके मध्य राजीनामा हो गया है। इस कारण वह प्रकरण में किसी भी प्रकार को कोई कार्यवाही संचालित रखना नहीं चाहते है। इसलिए प्रकरण को इसी प्रास्थिति पर निरस्त किया जाये। उभयपक्ष की ओर से आवेदक एवं अनावेदक द्वारा हस्ताक्षरित एवं रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकारते हुए आवेदिका आमना एवं अनीस का आवेदन अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. उक्त राजीनामे के आलोक में अनावेदक सराफत के विरुद्ध निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)

02. के.पी.राठौर अधिवक्ता (सदस्य) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

जिला भिण्ड